# बिहार सरकार
## कार्यालय नगर निगम, भागलपुर

### अल्पकालीन आमंत्रण सूचना संख्या – 18/2015–2016

(केवल ई–टेंडरिंग पद्धति द्वारा वेबसाईट–www.eproc.bihar.gov.in पर)

भागलपुर नगर निगम अन्तर्गत NULM मद योजना के अधीन आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रम स्थल (Shelter for Urban Homeless) एवं राज्य योजना मद के तहत प्राप्त राशि से कार्यान्वयन हेतु बिहार सरकार से ग्रामीण कार्य विभाग/पथ निर्माण विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से एकल बीड पद्धति में निविदा आमंत्रण किये जाते हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विज्ञापन दाता का नाम एवं पता | – | नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर। |
| 2. | निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि | – | दिनांक 12/08/2015 |
| 3. | टेंडर कागजात डाउनलोड करने की अवधि | – | दिनांक 24/08/15 से 30/08/15 के 15:00 बजे तक (on website-www.eproc.bihar.gov.in) |
| 4. | प्री बिड मीटिंग का समय/स्थान/तिथि | – | समय – 11.00 बजे, तिथि – 25/08/15<br>स्थान – कार्यालय, नगर निगम भागलपुर। |
| 5. | संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय | – | दिनांक 31/08/15 को 15:00 बजे तक (on website-www.eproc.bihar.gov.in) |
| 6. | तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय | – | दिनांक 31/08/15 को 16:00 बजे के बाद (on website-www.eproc.bihar.gov.in) |
| 7. | अग्रधन एवं परिमाण विपत्र के मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं Existing Commitment (मूल में) एवं सभी शपथ पत्र (मूल में) जमा करने की अंतिम तिथि/समय एवं स्थान | – | दिनांक 31/08/15 को 15:30 बजे तक<br>(i) कार्यालय, नगर निगम भागलपुर<br>(ii) अधीक्षण अभियंता, बूडा, न0वि0 एवं आ0वि0, पटना<br>(iii) मुख्य अभियंता, बूडा, न0वि0 एवं आ0वि0, पटना |
| 8. | कार्य का विवरण | – | |

| ग्रुप नं0 | कार्य का नाम | प्राक्कलित राशि (रू0 में) | अग्रधन की राशि (रू0 में) | परिमाण विपत्र का मूल्य | बीड प्रोसेसिंग फी (Online Payment) | कार्य पूरा करने की अवधि (इन्क्लुडिंग मोनसून अवधि माह में) | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वार्ड सं0–45 में NULM योजना के अधीन आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए आश्रम स्थल (Shelter for Urban Homeless) निर्माण कार्य | 4806808.00 | 96200.00 | 5000.00 | 1140.00 | 6 माह | पुनर्निविदा |
| 2. | वार्ड सं0–01 के बर्निंग घाट रोड में पी0सी0सी0 पथ एवं नाला निर्माण | 1468660.00 | 29400.00 | 2500.00 | 1140.00 | 3 माह | |

9. निविदा की वैद्यता अवधि – 120 दिन

10. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" निम्न विधि से जमा करना होगा:–

    (1) "Bid Processing Fee is mandatory" to be paid through online mode i.e internet payment gateway (credit/debit card), Net Banking, NEFT/RTGS.

    (2) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non- availability of interest Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबंधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

12. दो करोड़ से ऊपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें क्लोज सं0–10CC, 10CA, 10C विलोपित होगा।

13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता है।

14. ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें (www.eproc.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए

हेल्प डेस्क प्रथम तल्ल एम/22 बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग रोड नं0–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800020, दूरभाष संख्या 0612–2523006, मो0 संख्या–9939035696 से सम्पर्क किया जा सकता है।

15. स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी–4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Exsting Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर) रूपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। इस आषय का शपथ पत्र अपलोड करना होगा एवं मूल में कार्यालय में जमा करना होगा।

16. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

17. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। यदि वे जान बुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्त्तों को पूरा करने के बावजूद कोइ संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदि:–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तों के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवदा का इतिहास को, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लम्बित हो। तथ्यों को छुपाने की जवाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड मे अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति /निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

18. <u>परिमाण विपत्र–</u>

(1) उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो नगर आयुक्त, नगर निगम, भागलपुर के पदनाम से भागलपुर में भुगतेय हो, स्वीकार किया जायेगा। जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का होना चाहिए।

(1) <u>अग्रधन–</u>

(क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार परिमाण विपत्र के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।

(ख) अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र किसान विकास पत्र अथवा डाकघर के सावधि 1/3/5 वर्षीय जमा पासबुक के रूप में हो तथा नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर के पदनाम की विधिवत Pledged हो (मूल में)।

(ग) परिमाण विपत्र की राशि घट बढ़ सकती है, तदनुरूप अग्रधन की राशि देय होगी।

(घ) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए जिसमें तिथि नाम के साथ एवं मोबाईल नम्बर अंकित हो।

(क) वैद्य निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(ख) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएसन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) वाणिज्यकार/वैट निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(ड) वैद्य लेबर लाईसेंस की प्रति।

(च) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(a) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है।

(b) पार्टनरशिप एवं कम्पनी के मामले में प्राइम पार्टनर का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।

(c) जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

(ii) जिस संवेदक की वैद्य अवधि उल्लेखित नहीं है उसके आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से छः माह मानी जायेगी।

(3) संवेदक के अधीन लम्बित (सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing Commitmet कार्यों की राशि सहित सूची (मूल में एवं अपलोड)

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)........................................................ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री...................................... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरूद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकार/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर विखंडित (Resciend) नहीं किया गया है।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं है।

(ङ) संवेदक के पास स्ट्रेजिंग पाईप (ग्रुप सं0–01 के लिए), बैच मिक्स प्लान्ट/मोबाईल बैच मिक्स/मिनी मोबाईल बैच मिक्स (50 लाख से ऊपर राशि के लिए), मिक्सर मशीन, नोजल भाईब्रेटर, संटरिंग प्लेट, वाटर टैंकर आदि स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक या स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात भी संलग्न करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दिया जायेगा। उक्त यंत्र संयंत्र का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, भागलपुर के द्वारा किया जायेगा। इसका प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, भागलपुर के द्वारा तकनीकि बीड के साथ समर्पित किया जायेगा। भौतिक सत्यापन निविदा के अनुसार नहीं होगा तो उनकी निविदा अमान्य कर दी जाएगी।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूँकि संवेदकों का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमवाली–2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) तथा निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्तें संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डालें।

(च) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहाँ से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित हैं संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानो के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में कार्य आवंटन के पश्चात अग्रधन के रूप में एक प्रतिशत राशि ली जायेगी। अर्थात एकरारनामा के समय एक प्रतिशत राशि ली जायेगी।

(छ) यह स्पष्ट है कि निविदा के साथ भी कागजात Website (www.eproc.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा।

(5) <u>प्रतिशत दर निविदा</u>

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अन्तर आने पर उस संवेदक का निविदा अमान्य कर दिया जा सकता है।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10% प्रतिशत से कम की निविदित दर अमान्य होगी। असाधारण असुतंलित दर (Serious Unbalanced Rate) 10% कम दर उद्धृत करने पर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3376(E) दिनांक–17.08.10 के अनुसार एकरारनामा के समय अतिरिक्त Performance गारंटी (Additional Performance Guarantee) देना होगा।

19. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

20. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

21. <u>निविदा निष्पादन–</u>

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 19 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यक्तानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्त्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

22. एकरारनामा–

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F–2 (कंडिका–23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के समय मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट्ट उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

उपरोक्त शर्त्तों के अतिरिक्त परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में निविदादाताओं को निम्नांकित शर्त्तों का अनुपालन करना होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।

23. 50 लाख से अधिक की राशि का परिमाण विपत्र होने पर निविदादाताओं को एक वित्तीय बीड तथा एक तकनीकी बीड निविदा के साथ Upload करना होगा। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में जो निविदाकार असफल होंगे उनका वित्तीय बीड नहीं खोला जायेगा।

24. 50 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। जिसमें IT, ST, Royality, Net Payment, Gross Payment होगा।

25. 50 लाख से अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक को गुण नियंत्रण जाँच हेतु स्थलीय गुण नियंत्रण उपकरणों का स्वामित्व होना चाहिए अथवा किराये पर प्राप्त करने की स्थिति में किराये पर देने वाले एवं लेने वाले का मूल में शपथ पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही गुण नियंत्रण/यंत्र–संयंत्र का स्वामित्व संबंधी कागजात भी संलग्न करना होगा। गुण नियंत्रण उपकरण का भौतिक सत्यापन कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, भागलपुर के द्वारा किया जायेगा तथा इसका प्रतिवेदन तकनीकी बीड के साथ समर्पित करना होगा।

26. 50 लाख के अधिक के मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम–से–कम एक डिप्लोमा (सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिए। तत्तसंबंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। शपथ पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्त्ता दोनों पक्षों का होना चाहिए। एक डिग्री डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजित माना जायेगा।यदि एक ही डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहाँ नियोजन के शपथ–पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा।

27. अन्य शर्त्ते–

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 60/70, 30/40, 80/100 Grade Packed बिटुमिन अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्त्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी। जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रीम देय नहीं होगा। बिटुमिन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमिन क्रय के 48 घंटों के अन्दर कैशमेमों संबंधित सहायक अभियंता के समकक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा। साथ ही साथ 24 घंटों के अन्दर बिटुमिन क्वालिटी का जाँच कराना होगा। BM, SDBC, कार्य के लिए Hot Mix Plant, Vibratory Roller/Static Roller, paver finisher, fe loader, Tipper आदि आवश्यक है।

(ग) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्त्तन किया जा सकता है।

(घ) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

28. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदक को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी जमानत की राशि विमुक्त की जायेगी।

29. E-Tendering में कार्यालय द्वारा Download करने में संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता है।

30. कार्य आवंटित होने पर संवेदक को वैट सफाया प्रमाण–पत्र की राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करें जितना निविदा शर्त्तों की

कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार नगर आयुक्त, नगर निगम भागलपुर से सम्पर्क कर सकते हैं।

31. In the unlikely event of the server for www.eproc.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for reciept of tenders) on the last date of receiving of bid, the last date of the same shall automatically be extended to next working day til last receiving time stipulated in the original NIT.

32. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. if they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of Download ability/visibility of the scanned & uploaded file by them.

33. The bidders must use MS office-2003 version, file size should be less than 5 MB and should be in M.S word, M.S, Excel, PDF and jpeg Formats.

34. No claim shall be entertained on account of disruption of internet services being used by bidders, bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last minute technical snags.

35. In exceptional circumstances the component authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

36. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for furthered evaluation, irrespective of the circumstances.

37. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial Bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-procurement website (www.eproc.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc. In support of their eligibility criteria/technical bids and other certificate/documents in the e-procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authentictly.

38. Corrigendum/Addendum, if any will be published on the website itself.

39. अनियोजित अभियंता के लिए कर्णांकित कार्यों हेतु–

(a) पथ निर्माण विभाग के प्र0–6/नियम–03–03/2001–1399(S) दिनांक 31.01.2008 द्वारा सभी शर्त्तों का अनुपालन करना होगा।

(b) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि उन्होंने 3.50 करोड़ का कार्य से कम का कार्य अभी तक किया है।

(c) शपथ पत्र मूल में देना होगा कि किस वर्ष डिग्री/डिप्लोमा पास किया है तथा अबतक अनियोजित है।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक 2991 /भा0 न0नि0 दिनांक 12/8/2015

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा आमंत्रण सूचना की सी0डी0 एवं पाँच प्रति अतिरिक्त प्रतियाँ के साथ राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि प्रकाशन निविदा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व कराया जाय। विशेष जानकारी के लिए www.prdbihar.org।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक 2991 /भा0 न0नि0 दिनांक 12/8/2015

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, भागलपुर/वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/ अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

ज्ञापांक 2991 /भा0न0नि0 दिनांक 12/8/2015

प्रतिलिपिः– माननीया उपमहापौर/माननीय महापौर, नगर निगम भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
नगर निगम, भागलपुर

E:\YOJNA\E-Tender\NIT09 OF 15-16 (Upload)\ENIT18.doc